

बिहार सरकार
संसदीय कार्य विभाग


॥ अधिसूचना ॥

संख्या—सं0का0—1 / वि0म0 (लैप टॉप)–05–03/2011–**1518** / पटना, दिनांक—**13.07.2011**

बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ते एवं पेंशन) अधिनियम, 2006 (अधिनियम सं0—16, 2006) की धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं, यथा :—

**बिहार विधान मंडल (सदस्यों को कम्प्यूटर उपकरण की सुविधा)
नियमावली, 2011**

- 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और आरंभ।** — (1) यह नियमावली बिहार विधान मंडल (सदस्यों को कम्प्यूटर उपकरण की सुविधा) नियमावली, 2011 कही जा सकेगी।
(2) इसका विस्तार बिहार विधान मंडल के सदस्यों तक होगा।
(3) यह अधिसूचना की तिथि से प्रवृत्त होगी।
- 2. परिभाषाएँ।** — जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो इस नियमावली में—
(क) “अधिनियम” से अभिप्रेत है बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता एवं पेंशन) अधिनियम, 2006;
(ख) “सभा सचिवालय” से अभिप्रेत है बिहार विधान सभा सचिवालय;
(ग) “परिषद सचिवालय” से अभिप्रेत है बिहार विधान परिषद सचिवालय;
(घ) “सदस्य” से अभिप्रेत है बिहार विधान मंडल का कोई सदस्य;
(ङ.) “परिशिष्ट” से अभिप्रेत है इस नियमावली का परिशिष्ट;
(च) “प्राधिकृत व्यवहारी (डीलर)/आपूर्तिकर्ता” से अभिप्रेत है अपने उत्पाद की बिक्री के लिए कम्प्यूटर उपकरण के मूल उपकरण विनिर्माता द्वारा प्राधिकृत फर्म;
(छ) “कम्प्यूटर उपकरण” से अभिप्रेत है डेटा के भंडारण, पुनःप्राप्ति, प्रोसेसिंग, स्कैनिंग, अंतरण और मुद्रण के लिए समर्थ, किसी भी नाम से जाने जानेवाले सभी इलेक्ट्रॉनिक गैजिट और इसमें परिशिष्ट में विनिर्दिष्ट सभी उपकरण सम्मिलित हैं;
(ज) “प्रक्रिया” से अभिप्रेत है इस स्कीम के अधीन कम्प्यूटर उपकरण के उपापन तथा सदस्यों को प्रतिपूर्ति/अग्रिम-भुगतान की प्रक्रिया;
(झ) “स्कीम” से अभिप्रेत है कम्प्यूटर उपकरण क्रय करने हेतु बिहार विधान मंडल के सदस्यों की वित्तीय हकदारी की स्कीम;
(ञ) “साफ्टवेयर” से अभिप्रेत है कम्प्यूटर चलाने के लिए प्रयुक्त प्रोग्राम अथवा प्रोग्रामों का सेट और इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर भी शामिल हैं;
(ट) इस नियमावली में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों एवं अभिव्यक्तियों के वही अभिप्रेत होंगे, जो अधिनियम में उनके प्रति समनुदेशित किये हैं।
- 3. कम्प्यूटर उपकरण के लिए सदस्यों की वित्तीय हकदारी की स्कीम एवं प्रक्रिया।** —
(1) वित्तीय हकदारी स्कीम के माध्यम से सदस्यों द्वारा कम्प्यूटर उपकरण प्राप्त किया जाएगा।
(i) बिहार विधान मंडल के सदस्य के रूप अपनी पदावधि के दौरान इस स्कीम के अधीन कम्प्यूटर उपकरण और सॉफ्टवेयर के क्रय के लिए सदस्य की वित्तीय हकदारी अधिकतम 1,00,000/- (एक लाख) रूपये तक होगी।



- (ii) इस नियमावली के अधीन अन्य शर्तों के होने पर भी विधान मण्डल के वैसे सदस्य, जिन्हें पूर्व में लैपटॉप कम्प्यूटर उपलब्ध कराया जा चुका है, भी नई स्कीम के लिए विकल्प दे सकेंगे।

परन्तु उन्हें लैपटॉप कम्प्यूटर के हासित मूल्य के समतुल्य राशि विधान सभा/विधान परिषद सचिवालय में जमा करनी होगी अथवा उक्त राशि को नई स्कीम की राशि से कटौती करने के आशय का पत्र विधान सभा/विधान परिषद सचिवालय को देना होगा। लैपटॉप कम्प्यूटर के हासित मूल्य का निर्धारण बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (बैलट्रॉन) द्वारा किया जायेगा।

(2) कोई भी सदस्य इस स्कीम के अधीन परिशिष्ट—I में विनिर्दिष्ट कम्प्यूटर उपकरण के किसी अथवा सभी मदों की खरीद करने का हकदार होगा।

(3) कोई भी सदस्य अपनी पदावधि के दौरान किसी भी समय परिशिष्ट में विनिर्दिष्ट कम्प्यूटर उपकरण और सॉफ्टवेयर के किसी मॉडल को खरीदने के लिए स्वतंत्र होगा। इस शर्त के अध्यधीन कि प्रतिपूर्ति/भुगतान की कुल रकम इस नियम के उप नियम 1 के खण्ड (i) के अधीन हकदारी से अनधिक हो, परिशिष्ट—I में विनिर्दिष्ट कम्प्यूटर उपकरण की एक से अधिक इकाई की खरीद के लिए भी वह समान रूप से स्वतंत्र होगा।

परन्तु, सदस्य द्वारा खरीदे गए उपकरण की लागत, उसकी वित्तीय हकदारी से अधिक होने की दशा में, उसकी अंतर राशि का वहन सदस्य द्वारा स्वयं किया जायेगा।

(4) सदस्य परिशिष्ट—II में विनिर्दिष्ट ब्रांडों के कम्प्यूटर प्राधिकृत आपूर्तिकर्ताओं से क्रय करेगा।

(5) किसी भी सदस्य को किसी ब्रांड का प्रिंटर, स्कैनर और यू०पी०एस० खरीदने की स्वतंत्रता होगी।

(6) किसी सदस्य की वित्तीय हकदारी कम्प्यूटर उपकरण की खरीद की तारीख को नियत राशि होगी। जहाँ कोई सदस्य उपकरण का क्रय अंशतः करता हो, वहाँ वह पहली बार कम्प्यूटर उपकरण के उपापन के समय नियत राशि की हद तक प्रतिपूर्ति पाने का हकदार होगा। उसकी हकदारी उसके प्रथम उपापन के पश्चात् राशि में वृद्धि/ह्रास से प्रभावित नहीं होगी।

(7) इस स्कीम के अधीन सदस्य द्वारा खरीदा गया कम्प्यूटर उपकरण उसके पास ही रहेगा। किन्तु यदि वह सदस्य न रह जाता है तो विद्यमान आयकर नियमावली के अनुसार उसे कम्प्यूटर उपकरण का हासित मूल्य जमा करना होगा।

4. अग्रिम भुगतान। — कम्प्यूटर उपकरण की खरीद हेतु अग्रिम का भुगतान विधान सभा/विधान परिषद सचिवालय द्वारा प्राधिकृत व्यवसायियों/आपूर्तिकर्ताओं द्वारा निर्गत कच्चा बीजक (प्रोफार्मा इन्वायस) के विरुद्ध किया जायेगा।

5. लेखा संधारण एवं अंकेक्षण। — लेखा संधारण एवं अंकेक्षण के प्रयोजनार्थ सदस्य, विधान सभा/विधान परिषद सचिवालय द्वारा कच्चा बीजक पर भुगतान किये जाने की तिथि से 30 दिनों के अन्दर, सम्यक रूप से अनुप्रमाणित खरीद का मूल प्रमाण उपलब्ध करायेगा। आपूर्तिकर्ता द्वारा निर्गत बिल (विपत्र)/कैश मेमो खरीद का स्वीकार्य सबूत होगा, बशर्ते उसमें निम्नलिखित अन्तर्विष्ट हो/दर्शाया गया हो:—

- (i) बेचे गए हरेक उपकरण की क्रम संख्या;
- (ii) यह तथ्य कि माल दे दिया गया है;
- (iii) यह तथ्य कि पूरा भुगतान प्राप्त कर लिया गया है।

6. कम्प्यूटर उपकरण का रख—रखाव और बीमा। — यह निर्णय सदस्य को ही करना होगा कि वह स्कीम के अधीन खरीदे गए कम्प्यूटर उपकरण का बीमा कराना चाहते हैं या नहीं। कम्प्यूटर उपकरण का रख—रखाव एवं बीमा की व्यवस्था सदस्य द्वारा स्वयं किया जाएगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-
(नवनीत रंजन तिवारी)
विशेष कार्य पदाधिकारी।

संख्या—सं0का0-1 / वि0मं0 (लैपटॉप)–05–03/2011–1518/पटना, दि0–**13.07.2011**

प्रतिलिपि—महालेखाकार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा/कार्यकारी सचिव, बिहार विधान परिषद/महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव/माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग के आप्त सचिव/वित्त विभाग/विधि विभाग/सरकार के सभी विभाग/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं प्रेषित।

विशेष कार्य पदाधिकारी।

संख्या—सं0का0-1 / वि0मं0 (लैपटॉप)–05–03/2011–1518/पटना, दि0–**13.07.2011**

प्रतिलिपि—अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

2. अधिसूचना की 1500 (एक हजार पाँच सौ) मुद्रित प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा करें।

विशेष कार्य पदाधिकारी।

परिशिष्ट—I

कम्प्यूटर उपकरण और सॉफ्टवेयर के मद

1. डेस्क टॉप कम्प्यूटर
2. लैप टॉप कम्प्यूटर / नेट बुक कम्प्यूटर / टैबलेट इत्यादि
3. पेन ड्राइव
4. सीडी०/डी०वी०डी०
5. प्रिन्टर (डेस्क जेट / लेजर जेट / बहु कार्यात्मक / पोर्टबल)
6. स्कैनर
7. यू०पी०एस० (मात्र डेस्कटॉप के साथ)
8. हाथ से पकड़ा जानेवाला (हैंडहेल्ड) कम्प्यूनिकटर / पॉमटॉप कम्प्यूटर
9. डेटा इंटरनेट कार्ड
10. एम०एस० ऑफिस सूझट
11. वाइरस रोधी सॉफ्टवेयर
12. भाषा सॉफ्टवेयर और आवाज की पहचान करनेवाला सॉफ्टवेयर
13. अन्य कम्प्यूटर सहायक उपकरण।

Appendix-II

List of Branded Desktop / Laptop equipment

1. Acer
2. Dell
3. HCL
4. HP
5. Lenovo
6. PCS
7. Wipro
8. Apple
9. Sony
10. Samsung

परिशिष्ट—II

डेस्क टॉप / लैप टॉप कम्प्यूटर उपकरण के ब्रांडों की सूची

1.	एसर	Acer
2.	डेल	Dell
3.	एच०सी०एल	HCL
4.	एच०पी०	HP
5.	लेनोवो	Lenovo
6.	पी सी एस	PCS
7.	विप्रो	Wipro
8.	एप्पल	Apple
9.	सोनी	Sony
10.	सैमसंग	Samsung